

20/2/18

पत्नीवली पत्नी दुर्गे। अधिवक्तागण
उत्तर पत्र उपस्थित। जवाब प्रा. प्रा.
ली. आई. प्रस्तुत नहीं करु अधिवक्ता
अपार्थ 2 (जि. सी. ए) डा. सी. व. व. व.
द्वारा सिविल कि. प्रा. प्रा. पर उत्तर
पत्रवाचन को प्रा. प्रा. ली. आई.
पर सुना गया। - चूंकि विवाहिन मू. कि.

फर्द अहकाम
 मोहनलाल बनारस

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
 (फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर
 2017

(टी. भाई.)

आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
218	<p>रिपोर्ट में अपात्री 2 (पुलिस) के नाम दर्ज है तथा पंचम वृद्धता पुकरण मजिस्ट्रेट का संतुलन तथा अपूर्णता प्रति पात्री के पुत्र के लिए उचित नहीं होती है तथा पुकरण का निस्तारण उभय पत्राचार को विस्तृत रूप से सुनकर, पुत्र साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए निम्न जमा उचित समझते हैं। अतः पात्री का प्रथम पत्र अपात्री मजिस्ट्रेट कारिण किया जाता है। पत्रावली फॉर्म भुम्बर दौकर दर्ज नम्बर से पुम है। काद प्रति कारिण दफतर है।</p>	
	<p align="right">Nidhi सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर</p>	